इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004

फोन : 0141–2702784, 2706577–78 फैक्स : 2706575

E-Mail: igprgvs.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ4(67)भण्डार/IGPRS/2013/ 13146 दिनांकः 8/2/2018

मैसर्स ....

....

....

विषयः– ऑडिटोरियम के वातानुकूलन संयन्त्र के रखरखाव हेतु सीमित निविदा प्रस्तुत करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थान के ऑडिटोरियम में स्थापित वातानुकूलन संयन्त्र के रखरखाव के लिये आरटीपीपी के तहत् सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। संबंधित इच्छुक फर्मे दिनांक 15.02.2018 को सांय 04:00 बजे तक अपनी दरें प्रस्तुत कर देवें। उक्त तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही बिड़ प्रतिभूति राशि रूपये 4,000/– नकद अथवा **महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर** के नाम से डी.डी. संस्थान में जमा करावें।

संलग्न :– दर प्रस्तुत करने का प्रपत्र व शर्ते

07/2/18

अतिरिक्त निदेशक

निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाता को मुख्य पैनल से केन्द्रीय एवं विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।
2. निविदादाता को वातानुकूलन संयन्त्र (ऑडिटोरियम) के सम्पूर्ण विद्युत सप्लाई संयत्रों, पाईप लाईन, कूलिंग टावर तथा इससे संबंधित सभी कार्य करने होंगे। इन सभी संयंत्रों की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा इनमें कोई पार्ट्स, गैस आदि लीकेज होने पर या कम होने पर फर्म को डालनी होगी जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।
3. चूंकि संस्थान में कार्यक्रम एवं गतिविधियां अतिविशिष्ट एवं आवश्यक प्रकृति की है। अतः संयंत्र का वार्षिक रखरखाव व संचालन कम्पनी मैनूअल के अनुसार सजगता एवं तत्परता से करना होगा।
4. यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
5. किसी सामान/कलपुर्जे को मरम्मत हेतु संस्थान के बाहर बिना प्रभारी अधिकारी की अनुमति के नहीं ले जायेगा।
6. संस्थान के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम व गतिविधियों के दौरान वातानुकूलन संयंत्र चालू रहने की स्थिति में निविदाकार का तकनीकी प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा, ताकि संयंत्र में आये गतिरोध को तुरन्तु संभाल लिया जावे एवं संयंत्र चालू स्थिति में रखा जा सके।
7. निविदादाता कार्य मिलने पर इसे अन्य निविदादाता/व्यक्ति/फर्म को उप बेचान नहीं करेगी। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसे कार्य अपूर्ण की स्थिति मानकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
8. किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा।
9. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र, यथा
   1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण–पत्र
   2. गत तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र

3. प्रतिभूति राशि रूपये 4,000/-

4. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

10. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

11. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।

12. कार्यादेश दिनांक से 07 दिवस के अन्दर कार्य से संबंधित अनुबन्ध करना होगा, जिसके लिये समस्त व्यय निविदादाता के होंगे।

13. फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑडिटोरियम पर्याप्त ठंडा रहे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। यदि ऑडिटोरियम में वातानुकूलन नहीं होता है तो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए दण्डस्वरूप रख-रखाव विपत्र राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटी जावेगी।

14. निविदादाता को वातानुकूलन संयत्र के समस्त बिजली के पैनल उनमें लगे हुए इन्स्ट्रूमेंट के खराब होने पर बदलने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

16. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।

17. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे।

18. कार्य की दरें जी-शिड्यूल में अंकित करनी होगी।

अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्ते मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

बी शिड्यूल

दर प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	प्रस्तुत दर
1.	वातानुकूलन संयंत्र का वार्षिक रखरखाव– 36 X 2 टी आर के 2 ए.सी. प्लांट	01	
2.	वातानुकूलन के संचालन हेतु प्रति दिन/प्रति घण्टा प्रति व्यक्ति मानदेय	01	

उक्त दरों पर यदि लागू हो तो GST पृथक से नियमानुसार देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पूरा पता व मोबाईल नं0

(२)
प्रनिता